HARYANA GOVERNMENT SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ORDER

No. 5/116-2008 HRG-I(1)

Dated, Chandigarh, the 02.11.2020

The suspension period from 06.09.2016 to 31.01.2017 of Shri Jai Singh [051847] the then Principal, Government Senior Secondary School, Nautana [3972], Mahendergarh [retired on 31.01.2017] is treated as 'Non Duty Period' and his pay and allowances are restricted to whatever paid during suspension period as provided in Rule 90 of Haryana Civil Services (General) Rules, 2016.

DR.MAHAVIR SINGH, IAS ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Endst. 5/116-2008 HRG-I(1)

Dated Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action.

- 1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh
- 2. District Education Officer, Mahendergarh
- 3. Treasury Officer, Narnaul
- 4. Shri Jai Singh [051847], Principal (Retd), VPO Sehlang, Ward No 11, Ateli Mehendergarh 123027 [jaisinghprincipal01@gmail.com].
- 5. Principal, Government Senior Secondary School, Nautana [3972], Mahendergarh
- 6. Superintendent Pension-I(Local)
- 7. HRG-I(3)
- 8. Secy/ACSSE
- 9: IT Cell.

Deputy Superintendent HRG-I for Director Secondary Education, Haryana Panchkula

HARYANA GOVERNMENT SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ORDER

No. 5/248-2014 HRG-I(1)

Dated, Chandigarh, the 02.11.2020

The suspension period from 19.05.2015 to 29.12.2016 of Smt Kamlesh [006198] the then Principal, Government Senior Secondary School, Siwani Mandi [359], Bhiwani [now retired on 31.12.2016] is treated as 'duty period' for all intents and purposes as provided in Rule 89 of Haryana Civil Services (General) Rules, 2016.

DR.MAHAVIR SINGH, IAS ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Endst. 5/248-2014 HRG-I(1)

Dated Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action.

1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh

2. District Education Officer, Bhiwani

3. Treasury Officer, Bhiwani

4. Smt Kamlesh [006198] Principal (Retd), House No.2, Ward No.4, Siwani, Bhiwani 127046 [kamleshbeniwal@gmail.com].

5. Principal, Government Senior Secondary School, Siwani Mandi [359], Bhiwani

6. Secy/ACSSE

1. IT Cell.

Deputy Superintendent HRG-I for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula



HARYANA GOVERNMENT **EDUCATION DEPARTMENT** CHANDIGARH



ORDER

No. 4/4-2020 HRG-1(2)

Dated: Chandigarh, the 04.11.2020

In continuation of this office order No. 4/4-2020 HRG-I (2) dated 22.10.2020, the following HES-I officers are hereby transferred/ adjusted on the usual terms and

ondit	ion:-	200	Present place of	Remarks
Sr. No.	Name of Officer,	Designation & place of posting	posting	
			Principal DIET	Against vacancy.
1	Smt. Shashi Bala [065932]	(Dalwal)[6884]	Gurugram [4235]	Vice Sr. No. 1
2	Shri Ramesh Kumar [006605]	TENANCE ALOUATA	Principal	7,00

DR. MAHAVIR SINGH, IAS ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. 4/4-2020 HRG-I(2)

DATED, PANCHKULA, THE 06.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.

Treasury Officer concerned. 2.

Director SCERT, Gurugram.

District Education Officer, Nuh at Mewat 3. 4.

Principal, DIET Janauli (Palwal)[6884] 5.

DIET Gurugram [4235]

Officers concerned for immediate compliance. 6. 7.

Secy/OSD-CM & EM. 8.

Spl. Sr. Secy/ACSSE, PS/DSE 9.

Assistant-2 to update MIS profile of the concerned officers. 10.

TT Cell 11.

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH ORDER

Order No. 2/91-2018 HRG-I (3)

Dated, Chandigarh the 04.11.2020

Extension in service from 55 years to 58 years to Shri Mahabir Singh [024824] Principal, Government Senior Secondary School, Barsat [1772] Karnal is hereby rejected being convicted by Hon'ble Court of Shri Surender Kumar, Judicial Magistrate, 1st Class in FIR No. 265 under section 332, 353, 323 and 506 of IPC vide order dated 05.05.2011 and order dated 23.07.2012 of Hon'ble Court of Additional Session, Judge, Karnal whereby appeal against the order dated 05.05.2011 was dismissed. The incumbent/officer stands relieved with immediate effect.

DR. MAHAVIR SINGH ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT CHANDIGARH

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 2/91-2018 HRG-I (3)

Dated, Panchkula, the 06.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.

2. District Education Officer, Karnal w.r.t. Letter No. E-1/18/370 dated 26.03.2018 with direction to comply with this order and compliance report be sent to this office by today positively. DEO Karnal is also directed to maintain the copy of this order in the personal file of the office.

3. Treasury Officer, Karnal.

4. Shri Mahavir Singh [024824] Principal, Government Senior Secondary School, Barsat [1772] Karnal [smahavir447@gmail.com]

5. Superintendent Pension-I (Local).

Secy/ACSSE

7/ IT Cell

Deputy Director HRG-I 6/11/for Director Secondary Education

Haryana, Panchkula



GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT



ORDER

No. 22/40-2020 HRG-I (2)

Dated, Chandigarh the 04.11.2020

The Governor of Haryana is pleased to transfer the following HES-I officers with immediate effect at the place mentioned against their names:-

Sr. No.	Name of the officer Sarv Sh./Smt.	Present Place of Posting	New Place of Posting	Remarks
1	Sh. Rajpal [023459]	DEEO Yamuna Nagar [6851]	DEO Karnal [4608]	Vice Sh. Ravinder Kumar Chaudhary [058617]
2	Sh. Ravinder Kumar Chaudhary [058617]	DEO Karnal [4608]	Principal, DIET Shahpur [4613] Karnal	Against Vacancy

Note:

The lien of Sh. Ramphal Dhankar [65935], HES-I Officer (under suspension) is hereby shifted in the office of Principal, District Institute of Training and Education, Palwal [4612] (Kurukshetra) and his suspension allowance will be drawn against the vacant said post.

Dr. Mahavir Singh, IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Chandigarh.

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. 22/40-2020 HRG-I(2)

DATED, PANCHKULA, THE 06.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
- 2. Deputy Commissioner, Yamuna Nagar and Karnal.
- 3. Director, SCERT Gurugram.
- 4. Treasury Officer concerned.
- 5. Officers concerned for immediate compliance.
- 6. Secy/OSD-CM, EM,
- 7. Secy/ACSSE.
- 8. PS/DSE, PA/DGEE, PA/SPD.
- 9. HRG-I/3 for placing copy of the transfer orders in the personal files of the concerned officers.
- 10. Separate copy for updating MIS Profile.
- 11. All branches of Directorate.

12. IT Cell

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I for DIRECTOR SCHOOL EDUCATION HARYANA, PANCHKULA



Directorate School Education

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Pataudi[736], Gurugram

2/62-2020 w (1) यादी क्रमांक दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring / Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने विंत्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड0सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है-

विद्यालय का नाम 1 GSSS Pataudi (Gurugram) [736] कार्य का नाम Bala Building as learning Aid कुल राशि

प्रस्तावित राशि 300000.00 300000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई-मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :--

- यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- यह कार्य एक मास में करवाया जाना है। 2
- इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है। 3
- इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं। 5
- BaLA से पहले तथा BaLA के बाँद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें। 7
- आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपदोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस 9 विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

> कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला – 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त गुड़गांव
- 3 जिला खजाना अधिकारी गुड़गांव
- 4 उप खजाना अधिकारी, पटोदी / सोहना / फारूख नगर / / /
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे। 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेत्र प्रषित है।
- 1 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)

ु कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ar



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Kohli[1239], Hisar Principal GSSS-Kuleri[1476], Hisar Principal GSSS-Narnaund[1478], Hisar Principal GSSS-Uklana Mandi[1481], Hisar

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020 Group: 271

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० विनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

-,,		कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
	विद्यालय का नाम		300000.00
1	GSSS Kohli (Hisar) [1239]	Bala Building as learning Aid	,
	GSSS Kuleri (Hisar) [1476]	Bala Building as learning Aid	300000.00
	GSSS Narnaund (Hisar) [1478]	Bala Building as learning Aid	300000.00
3	G555 Narnaunu (msai) [1470]	Bala Building as learning Aid	300000.00
4	GSSS Uklana Mandi (Hisar) [1481]	_	1200000.00
		कुल राशि	1200000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।

9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

> अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला। दिनाक, पंचकुला:— 6-11-20

पृष्ठाकिन कमाक 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
- 3 जिला खंजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर / हांसी / नारनौंद / बरवाला / उकलाना / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020–1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य ब्लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 1) इन्चार्ज आई०टी० सेल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Dhakla[3076], Jhajjar Principal GSSS-Bhurawas[3245], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

Group: 272

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

तिसालग	का	नाम
Juellera	471	لمالم

- 1 GSSS Dhakla (Jhajjar) [3076]
- 2 GSSS Bhurawas (Jhajjar) [3245]

कार्य का नाम

Bala Building as learning Aid Bala Building as learning Aid प्रस्तावित राशि 300000.00 300000.00

कुल राशि

600000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं!
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
- 3 जिला खजाना अधिकारी झज्जर
- 4 उप खजाना अधिकारी, बेरी / बहादुरगढ़ / मातनहेल / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे

Principal GSSS-Uchana Kalan[1523], Jind

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम 1 GSSS Uchana Kalan (Jind) [1523] कार्य का नाम
Bala Building as learning Aid
कुल राशि

प्रस्तावित राशि 300000.00 **300000.00**

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- अादेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकंन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला:- 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, जीद।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त जीद
- 3 जिला खजाना अधिकारी जीद
- 4 उप खजाना अधिकारी, नरवाना / सफ़ीदों / जुलाना / उचाना / पिल्लुखेड़ा / / /
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14 / 01 / 2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 17 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा

हरियाणा, प्रंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Biana[1957], Karnal

यादी कमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम

1 GSSS Biana (Karnal) [1957]

कार्य का नाम

Bala Building as learning Aid

ling as learning Ald

कुल राशि

प्रस्तावित राशि 300000.00

300000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकंन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला – 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल ।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी / इन्द्री / घरौण्डा / असन्ध / निसिंग / तरावड़ी / / /
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बज़ट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 11 ईन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
 - 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Babain[2392], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम

1 GSSS Babain (Kurukshetra) [2392]

कार्य का नाम

Bala Building as learning Aid কুল খাখা प्रस्तावित राशि

300000.00

300000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकंन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला-6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कुरूक्षेत्र
- 3 जिला खजाना अधिकारी कुरूक्षेत्र
- 4 उप खजाना अधिकारी, शाहबाद / पेहवा / लाडवा / ईस्मायलाबाद / / /
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020–1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- अ इन्चार्ज आईoटीo सेल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

M



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



सेवा मे.

Principal GSSS-Bataur[3716], Panchkula

2/62-2020 w (1) यादी क्रमांक दिनाक पंचकुला 05-11-2020

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष विषय 2020-21 (Recurring / Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम 1 GSSS Bataur (Panchkula) [3716] कार्य का नाम Bala Building as learning Aid कुल राशि

प्रस्तावित राशि 300000.00 300000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण / मुरम्मत / अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई-मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :--

- यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- यह कार्य एक मास में करवाया जाना है। 2
- इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है। 3
- इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें। 7
- आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

> कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचक्ला।

पृष्ठााकन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला – 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला ।

2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला

- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकूला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका / बरवाला / मोरनी / रायपुररानी / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।

11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)

अधींक्षक निर्माण विद्यालय शिक्षा कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

a



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Goela Khurd[2025], Panipat Principal GSSS-Chulkana[2082], Panipat Principal GSSS-Madlauda[2106], Panipat

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1)

Group: 273

दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Goela Khurd (Panipat) [2025]	Bala Building as learning Aid	300000.00
	GSSS Chulkana (Panipat) [2082]	Bala Building as learning Aid	300000.00
	GSSS Madlauda (Panipat) [2106]	Bala Building as learning Aid	300000.00
		कुल राशि	900000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठााकन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला - 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा / इसराना / बापोली / मडलोडा / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- र्ध इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Hathin[979], Palwal Principal GSSS-Prithla[995], Palwal Principal GSSS-Hodal[1002], Palwal Principal GSSS-Barauli[1174], Palwal

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचक्ला 05-11-2020

Group: 274

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Hathin (Palwal) [979]	Bala Building as learning Aid	300000.00
	GSSS Prithla (Palwal) [995]	Bala Building as learning Aid	300000.00
	GSSS Hodal (Palwal) [1002]	Bala Building as learning Aid	300000.00
	GSSS Barauli (Palwal) [1174]	Bala Building as learning Aid	300000.00
а	Coop Burdan (Comment)	कुल राशि	1200000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आंवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।

जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस 9 विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

> अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला। दिनाक, पंचकुला: - 6-11-20

पृष्ठााकन कमाक 2/62-2020 w (1)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल ।

2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल

3 जिला खजाना अधिकारी पलवल

4 उप खजाना अधिकारी, पलवल / होडल / हथीन / / /

- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)

9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे। 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।

11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Pitharawas[2638], Rewari

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम

1 GSSS Pitharawas (Rewari) [2638]

कार्य का नाम

Bala Building as learning Aid

प्रस्तावित राशि

300000.00

कुल राशि 300000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैटक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठााकन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला – 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाडी।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
- 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
- 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल/.//
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे। 10 इंज्रकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Lakhan Majra[2665], Rohtak

यादी कमांक 2

2/62-2020 w (1)

दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम

कार्य का नाम

प्रस्तावित राशि

1 GSSS Lakhan Majra (Rohtak) [2665]

Bala Building as learning Aid

300000.00

कुल राशि

300000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठााकन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला – 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर///
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-- 1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 🄰 इन्चार्ज आईoटीo सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

an



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Bupp[4023], Sirsa

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम 1 GSSS Bupp (Sirsa) [4023] कार्य का नाम

प्रस्तावित राशि

Bala Building as learning Aid কুল খাই। 300000.00 300000.00

इसमें Bala (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। Bala के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें Bala के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकिन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला- 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया / डबवाली / ऐलनाबाद / कलावली / / /
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020–1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 🏒 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे

1 2

Principal GGSSS-Madina[3569], Sonipat Principal GSSS-Lath[3566], Sonipat

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकला 05-11-2020

Group: 275

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
GGSSS Madina (Sonipat) [3569]	Bala Building as learning Aid	300000.00
GSSS Lath (Sonipat) [3566]	Bala Building as learning Aid	300000.00
2000 Trust (2011) [2011]	कल राशि	600000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना / गनौर / खरखोदा / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14 / 01 / 2020—1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इस्रकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सेल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा

हरियाणा, पंचकूला।



15

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Naraingarh[30], Ambala

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम 1 GSSS Naraingarh (Ambala) [30] कार्य का नाम
Bala Building as learning Aid
कुल राशि

प्रस्तावित राशि 300000.00 3**00000.0**0

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकिन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला: - 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला ।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैन्ट / बराड़ा / नारायणगढ़ / मुलाना / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- ্য इन्चार्ज आईoटीo सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Siwani Mandi[359], Bhiwani Principal GSSS-Bhiwani[396], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

Group: 267

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Siwani Mandi (Bhiwani) [359]	Bala Building as learning Aid	300000.00
2 GSSS Bhiwani (Bhiwani) [396]	Bala Building as learning Aid	300000.00
, , ,	कुल राशि	600000.00

इसमें BaLA (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। BaLA के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें BaLA के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई—मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकंन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला- 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानीं
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, लोहारू/सिवानी/बवानी खेड़ा/तोशाम///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेख्रा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इस्मकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- প্র इन्चार्ज आई०टी० सेल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचुकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GGSSS-Charkhi Dadri[375], Charkhi Dadri

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड0सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

विद्यालय का नाम

1 GGSSS Charkhi Dadri (Charkhi Dadri) [375]

कार्य का नाम

Bala Building as learning Aid कुल राशि प्रस्तावित राशि

300000.00

300000.00

इसमें Bala (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। Bala के सन्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें Bala के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जॉना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल <u>academiccellhry@gmail.com</u> पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02–Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

पृष्ठाकिन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला – 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, चरखी दादरी।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त चरखी दादरी
- 3 जिला खजाना अधिकारी चरखी दादरी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/बाढ़ड़ा/बाढ़ड़ा/
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चर्ण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

of



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS-Tigaon[1115], Faridabad Headmaster GHS Nangla Gujran [1098], Faridabad Principal GSSS Faridabad (NIT No. 3) [974], Faridabad

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020

Group: 268

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GSSS Tigaon (Faridabad) [1115]	Bala Building as learning Aid	300000.00
2	GHS Nangla Gujran (Faridabad) [1098]	Bala Building as learning Aid	300000.00
3	GSSS Faridabad (NIT No. 3) (Faridabad) [974]	Bala Building as learning Aid	300000.00
		कुल राशि	900000.00

इसमें Bala (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे ताकि इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। Bala के सन्दर्भ में Power Point Presentation सांथ संलग्न है जिसमें Bala के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of

Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

> अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विघालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकंन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनाक, पंचकुला:- 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद
- 3 जिला खजाना अधिकारी फरीदाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, बल्लबगढ़ / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० कमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- 11 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Bhattu Kalan[3266], Fatehabad Principal GSSS-Bhuna[3267], Fatehabad Principal GSSS-Fatehabad[3274], Fatehabad Principal GGSSS-Ratia [3393], Fatehabad

यादी क्रमांक 2/62-2020 w (1) दिनाक पंचकुला 05-11-2020 Group: 269

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2020-21 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० कमांक 14/01/2020—1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

1 2 3	विद्यालय का नाम GSSS Bhattu Kalan (Fatchabad) [3266] GSSS Bhuna (Fatchabad) [3267] GSSS Fatchabad (Fatchabad) [3274] GGSSS Ratia (Fatchabad) [3393]	कार्य का नाम Bala Building as learning Aid Bala Building as learning Aid Bala Building as learning Aid Bala Building as learning Aid	प्रस्तावित राशि 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
4	GGSSS Ratia (Fatehabad) [3393]	Bala Building as learning Aid कुल राशि	300000.00 1200000.00

इसमें Bala (Building as Learning Aid) के लिए राशि प्रदान की गई है। आप अपने विद्यालय से किसी एक अध्यापक को नोडल बनाकर उसका दूरभाष तथा ई—मेल शाखा के साथ सांझा करे तािक इस सन्दर्भ में करवाए जाने वाले कार्यों बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके। Bala के रान्दर्भ में Power Point Presentation साथ संलग्न है जिसमें Bala के दायरे में आने वाले कार्यों का उल्लेख है। इससे सम्बन्धित दिशा—निर्देश निम्नानुसार हैं :—

- 1 यह कार्य विभागीय नियमानुसार करवाया जाना है।
- 2 यह कार्य एक मास में करवाया जाना है।
- 3 इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेंट, ब्रश आदि के लिए राशि प्रदान की गई है।
- 4 इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्थान प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- 5 विषय अध्यापकों के साथ बैठक करके BaLA के विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं।
- 6 BaLA से पहले तथा BaLA के बाद के फोटोग्राफ की E File बनाकर शाखा को 10 दिसम्बर, 2020 से पूर्व उपलब्ध करवाएं।
- 7 अन्य किसी जानकारी के सन्दर्भ में विभाग की ई-मेल academiccellhry@gmail.com पर सम्पर्क करें।
- 8 आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं।
- 9 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृि प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2020-21 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण कृतेः निदेशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकृता।

पृष्ठााकन कमाक 2/62-2020 w (1)

दिनांक, पंचकुला:- 6-11-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद
- 3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
- 4 उप खंजाना अधिकारी, टोहाना / रितया / भूना / जाखल / भट्टू कुलां / / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020—1 बीo एण्ड सीo दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (स्थानीय)। यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
- अईंग्वार्ज आईंग्टीo सैल (शिक्षा निदेशालय)।
- 12 सहायक निदेशक, शैक्षणिक शाखा (स्थानीय)।

अधीक्षक निर्माण कितः निर्देशक विधालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(01/2)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253 कार्यालयः पॅलाट न0ावी, शिक्षा सदन, राज्य ६ ५ ५ ५ कुला-134109 (मारत) दूरभाष : ६१ (0172) 2560246 करम: 91 (0172) 2560253

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 5/80-2016 HRG-I(2)

Dated, Chandigarh, the 29-10-2020

Whereas, Shri Anil Kumar Sharma [008578], the then Block Education Officer, Kairu now Principal, DIET Madina (Rohtak) was charge-sheeted under rule -7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987 vide Order No. 5/116-2008 HRG-I(1) dated 03.03.2016, wherein the following allegation was leveled against him:-

"यह कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वांछित रिकार्ड भेजने हेतू सर्तकता विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 13963/राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला दिनांक 21/24.09.2007 के अनुसार अनुरोध किया गया परन्तु उन द्वारा सतर्कता विभाग के पत्र का कोई जवाब नही दिया तथा न ही सतर्कता विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिकार्ड सम्बंधि जांच में उन द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया "

Shri Anil Kumar Sharma submitted the reply to said charge-sheet on dated 04.06.2019 wherein he refuted the charges leveled against him and requested to consider the reply sympathetically in view of the justification given by him in the reply. The reply of the delinquent was not found satisfactory.

Thereafter Sh. O.P. Langyan, IAS (Retd.) was appointed an Inquiry Officer vide order no. 5/80-2016 HRG-I(1) dated 03.07.2020/14.07.2020. The Inquiry Officer has submitted enquiry report on 11.08.2020 to this Department. The operative part of the findings/report is as under:-

"All the concerned i.e. the presenting officer and his witness and the charged official were called. The departmental witnesses i.e. the sub inspector and the inspector of the vigilance department did not turn up ispite of summons sent to the Superintendent of Police, Vigilaance Hisar. Therefore, ex-parte decision was taken against them. There after the defense statement of the charged official i.e. Sh. Anil Kumar was recorded who stated that she extended full co-operation in the enquiry conducted by the vigilance department. She submitted documents paging 1 to 5 alongwith her statement which were not rebutted by the prosecution. The contention of C.O. was not rebutted by the prosecution and the report of the vigilance was not proved as the person who conducted this enquiry did not appear for recording their evidence. Therefore, the charge leveled against Sh. Anil Kumar the then BEO Kairu (Bhiwani) now DEO Hisar is not proved."

Keeping in view of the facts of the case and findings of Inquiry Officer, the Governor of Haryana is pleased to file the present charge-sheet against Sh. Anil Sharma.

It is ordered accordingly.

(Dr. Mahayir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department.

Regd.

Sh. Anil Kumar Sharma Principal, DIET Madina (Rohtak).

Endst. No. 5/80-2016 HRG-I(2)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. Director, SCERT Gurugram. It is requested to convey this order to the concerned official.
- 2. Principal, DIET Madina Rohtak.
- 3. Secretary/ACSSE.
- 4. Superintendent Pension-I (Local).
- 5. Superintendent Co-ordination-I to update status for Vidhan Sabha Assurance.
- 6. Assistant-3 to keep this order in the personal file of the concerned officer.

7 IT Cell

Deputy Superintendent HRG-I for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 5/80-2016 HRG-I(2)

Dated, Chandigarh, the 29-10-2020

Whereas, Smt. Bimla Sheoran, the then Block Education Officer, Bond Kalan (Bhiwani) now retired as Principal, DIET Birhi Kalan (Charkhi Dadri) was charge-sheeted under rule -7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987 vide Order No. 5/116-2008 HRG-I(1) dated 03.03.2016, wherein the following allegation was leveled against him:-

"यह कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वांछित रिकार्ड भेजने हेतू सर्तकता विभाग द्वारा उनके पत्र कमांक 13963/राज्य चौकसी ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला दिनांक 21/24.09.2007 के अनुसार अनुरोध किया गया परन्तु उन द्वारा सतर्कता विभाग के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही सतर्कता विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिकार्ड सम्बंधि जांच में उन द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया "

Smt. Bimla Sheoran submitted the reply to charge-sheet on dated 05.04.2016 wherein she refuted the charges leveled against her and requested to consider the reply sympathetically in view of the justification given by her in the reply. The reply of the delinquent was not found satisfactory.

Thereafter, Sh. O.P. Langyan, IAS (Retd.) was appointed an Inquiry Officer vide order no. 5/80-2016 HRG-I(1) dated 03.07.2020/14.07.2020. The Inquiry Officer has submitted enquiry report on 11.08.2020 to this Department. The operative part of the findings/report is as under:-

"All the concerned i.e. the presenting officer and his witness and the charged official were called. The departmental witnesses i.e. the sub inspector and the inspector of the vigilance department did not turn up ispite of summons sent to the Superintendent of Police, Vigilaance Hisar. Therefore, ex-parte decision was taken against them. There after the defense statement of the charged official i.e. Smt. Bimla Sheoran the then BEO Bond Kalan was recorded who stated that she extended full co-operation in the enquiry conducted by the vigilance department. She submitted documents paging 1 to 5 alongwith her statement which were not rebutted by the prosecution. The contention of C.O. was not rebutted by the prosecution and the report of the vigilance was not proved as the person who conducted this enquiry did not appear for recording their evidence. Therefore, the charge leveled against Smt. Bimla Sheoran, the then Block Education Officer, Bond Kalan (Bhiwani) now Principal, DIET Birhi Kalan (Bhiwani) (Retired) are not proved."

Keeping in view of the facts of the case and findings of Inquiry Officer, the Governor of Haryana is pleased to file the present charge-sheet against Smt. Bimla Sheoran (Retd).

It is ordered accordingly.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department.

Regd.

Smt. Bimla Sheoran (Retd.) Principal, DIET Birhi Kalan (Charkhi Dadri)

Endst. No. 5/80-2016 HRG-I(2)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. Director, SCERT Gurugram. It is requested to convey this order to the concerned official.
- 2. Principal, DIET Birhi Kalan. It is requested to convey this order to the concerned official.
- 3. Secretary/ACSSE.
- 4. Superintendent Pension-I (Local).
- 5. Superintendent Co-ordination-I to update status for Vidhan Sabha Assurance.
- 6. Assistant-3 to keep this order in the personal file of the concerned officer.

7. IT Cell

Deputy Superintendent HRG-I for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 5/143-2012 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the Ophiller

Whereas, Late. Shri Subhash Chander [045605] Principal, Government Senior Secondary School, Badwasani [3440] Sonepat was charge sheeted under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 1987 on 04.10.2013 and the following allegations were leveled against him:-

That he was caught red handed for accepting bribe from the stationery supplier. Consequently, FIR No. 22 dated 27.09.2012 u/s 7 and u/s 13 of prevention of Corruption Act 1988 (Act 49 of 1988) was registered against him in State Vigilance Bureau Rohtak. Apart from that, the delinquent was placed under suspension vide order dated 23.10.2012/05.1.2012 on the basis of report of District Education Office, Sonepat dated 01.10.2012. Thereafter, prosecution sanction was also issued by the Government on 16.01.2013.

The delinquent submitted his reply to charge-sheet dated 17.10.2013 and denied the allegations leveled against him but the same was not found satisfactory. Further, the Hon'ble Court of Shri Jagdeep Singh, Special Judge (Additional Session Judge), Sonepat passed the order dated 29.01.2015 and the operative part of order is reproduced as under:-

"...convict Subhash Chander who has been convicted under section 7 and 13(I)(d) of the Prevention of Corruption Act, is directed to undergo rigorous imprisonment for a period of one year and pay fine of Rs 2000/- for the commission of offences punishable under section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1998 and in default of payment of fine to undergo imprisonment for a period of two months in addition to substantive sentence so awarded. Convict is further directed to undergo rigorous imprisonment for a period of two years and pay fine of Rs 4000/- for the commission of offence punishable under section 13(I)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1998 and in default of payment of fine to undergo imprisonment for a period of three months in additional to the substantive sentence so awarded".

Thereafter, Shri V.P Batra, IAS (Retd) was appointed as an Inquiry Officer, vide order dated 24.11.2017/18.12.2017 to hold a regular departmental enquiry report. In the regular enquiry dated 15.03.2019, charges were proved against the delinquent.

Since, the charges were found proved against the delinquent, the findings of I.O dated 15.03.2019 were forwarded to the charged officer on 26.06.2019 as per provision of Rule 7 (C) (1) of HCS (P&A) Rules, 2016 but the charged officer did not respond to the findings of the I.O. Thereafter, the charged officer was granted opportunity of personal hearing by the competent authority and it was report by District Education Officer, Rohtak vide letter no.E-7/2019/1106 dated 23.12.2019 that charged officer i.e. Shri Subhash Chander has expired on 09.08.2019 and death certificate dated 03.09.2019 was also furnished. Consequently, the matter was



referred to Legal Remembrance, Haryana for seeking advice and operative part of opinion tendered by Legal Remembrance, Haryana is reproduced as under:-

"...the pending disciplinary proceedings (not culminated into finality) after the death of the employee concerned stand abated if the employee died prior to conclusion of disciplinary/criminal proceedings as the mis-conduct is something absolutely personal to him".

Keeping in view the above said facts of the case and opinion of Legal Remembrance, Haryana, the Governor of Haryana Government of Haryana is pleased to file the present charge sheet.

It is ordered accordingly.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
School Education Department

Regd.

Late. Shri Subhash Kumar, Govt. Sr. Sec. School, Badwasani (Sonipat).

Endst. No. 5/143-2012 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh

2. Ld. LR, Haryana w.r.t. U.O. no. 35-G(18)/Education Op. Br. 20/141 dated 24.06.2020

3. Treasury Officer, Sonepat

4. District Education Officer, Sonepat to convey this order to the concern through special messenger.

5. Superintendent Pension-I(Local)

6. I.T. Cell.

7. Secy/ACSSE

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 10/20-2008 HRG-I (2)

Dated, Chandigarh, the 02:11-2020

Whereas, Shri Maman Singh, District Elementary Education Officer (Retd.), Sonepat was charge sheeted under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 vide order No. 10/20-2008 HRG-I (2)/ 1870 dated 23.04.2009 and the following charges were , leveled against him.

- 1. That Sh. Maman Singh purchased gas stoves with lighter, pipe, regulator and burner @ Rs. 1310/- per unit from Faridabad Central Cooperative Consumer Store Ltd., Faridabad which was not an approved source for the purchase of the said articles.
- 2. That the market price of the set of articles was about Rs. 710/- but he paid for the said set @ Rs. 1310/- per set plus VAT charges and thus caused a financial loss of Rs. 2,76,600/- to the State Government.

The delinquent submitted the reply charge sheet and the same was not found satisfactory. Resultantly, Sh. O.P. Gupta District & Session Judge (Retd) was appointed as Inquiry Officer vide order dated 29.09.2009 to conduct regular departmental enquiry. The Inquiry Officer submitted the report dated 23.04.2010 wherein charges were not found proved. Thereafter, a committee was constituted presided over by the Additional Director Admn wherein Technology Officer and XEN O/o Director Secondary Education, Haryana were also members to find out the optimum price of the gas chullah/bhatti. The committee submitted report dated 02.05.2012 and concluded that the cost of the said item in the year of 2007 was Rs. 686.25. Consequently, a dissenting note primarily on the ground of purchasing the items from an unapproved source, non-ISI mark and at higher rate of Rs. 1310/- instead of optimum price of Rs. 710/-, along with a copy of the inquiry report was sent to the delinquent in the light of Rule 7(6) of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 1987. Thereafter, opportunity to make representation was given vide letter dated 11.07.2012/ 27.08.2012, to the charged officer. The charged officer submitted his reply on 22.09.2012 and contended that the charges leveled against him are incorrect. He further stated that Faridabad Central Cooperative Consumer Store Ltd. Faridabad was not an approval source as per Supplied and Disposal Department letter dated 30.01.2008. But the procurement was made in November, 2007 and thus, stated that there was no malafide intention on his part. Thereafter, the competent authority imposed punishment on 10.02.2014 for recovery of loss of Rs. 2,92,458/- from the retiral benefits along with 2% cut in pension whole life under Rule 2.2 (b) of Punjab Civil services Rules.

Aggrieved of the above action of the Government, the delinquent filed the Civil Writ Petition No. 22188 of 2014 praying there in quashing the order dated 10.02.2014. The writ petition was dismissed by the Hon'ble High Court on 13.07.2015.

The petitioner filed LPA 1587 of 2015 against the order dated 13.07.2015 and the LPA was disposed of vide order dated 14.03.2018 and the operative part of this order is reproduced as under:-



" The disciplinary authority relied upon the report given by a committee more than 2 years after the regular inquiry office held that the charges were not proved against the appellant. Said material was not before the enquiry officer. Moreover, the appellant was neither associated with the proceedings conducted by the committee which gave its report on 02.05.2012 ought to have supplied to the appellant along with note of dissent by recording tentative findings recorded by disciplinary authority and it was only after the receipt of representation from the appellant that the matter ought to have been considered and decided by the dissent itself recording that the charges against the appellant stood proved and that too without supplying a copy of report dated 02.05.2012 for arriving at a finding than one recorded by the regular Enquiry Officer exonerating the appellant, the appellant was seriously prejudiced. Resultantly, the impugned order is unsustainable. Consequently, the same is set aside. The matter is remanded to the disciplinary authority to proceed afresh in the matter. Needful be done within three months from the date of receipt of certified copy of this order after supplying report dated 02.05.2012 and after affording an opportunity to the appellant to move representation. If any, disciplinary proceedings would proceed to decide the matter afresh and would determine the outcome to decide the matter afresh and would determine the outcome of the action. If any, to be taken against the appellant.

Appeal is allowed in aforementioned terms.

In compliance of the aforesaid orders, the punishment order dated 10.02.2014 is hereby set aside and charge-sheet dated 23.04.2009 stands restored accordingly.

It is ordered accordingly.

(**Dr. Mahavir Singh**) IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department,
Chandigarh

To

Shri Maman Singh S/o Sh. Ram Swaroop, V.P.O Achina, District Bhiwani

Endst. No. 10/20-2008 HRG-I(2)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. Advocate General, Haryana w.r.t to Hon'ble High Court order dated 14.03.2018 passed in LPA No. 1587 of 2015 titled as Maman Singh Vs State of Haryana.
- 2. District Education Officer, Sonepat. It is requested to convey this to the concerned officer.

3. Secretary/ACSSE.

- 4. Assistant-3 to keep this order in the personal file of the concerned officer.
- 5. S.Pension-I (Local)

6. IT Cell

Deputy Superintendent HRG-I for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 5/174-2016 HRG-I(2)

Dated, Chandigarh, the 29-10-2020

Shri Ram Kumar Phalswal [041061] the then District Elementary Education Officer, Faridabad now retired was charge-sheeted under rule-8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016 vide order no. 5/176-2019 HRG-I(2) dated 07.12.2016 and the following allegation was leveled against him:-

"That during the hearing before the State Information Commission has observed that Sh. Ram Kumar Phalaswal as appellate authority has failed to file his written comments in the matter up to 08.07.2015 and did not appear before the Commission without any intimation. The commission also observed that being authority he also failed to decide the first appeal, which was remanded by the Commission vide letter No. 128/SCIC/2015/8-1A dated 21.01.2015 by passing a speaking order in view of provision of Section 19 (6) of the RTI, Act, 2005 within a stipulated period. The aforesaid act of conduct of Sh. Ram Kumar clearly indicates that he is not serious in implementing the RTI Act and disobeyed the orders of the Commission"

Shri Ram Kumar Phalswal, DEO Rewari (Retd.) submitted his reply to said charge-sheet on dated 22.05.2018 wherein he refuted the charges leveled against him and contented that the information was supplied to the appellant Sh. Hare Krishan on 27.10.2014 and again supplied to the appellant as per direction of the Directorate dated 08.01.2015. He has further stated that the orders of the Hon'ble SIC dated 21.01.2015 was neither shown to him by the dealing assistant office of DEEO Faridabad nor was in the knowledge of him. Therefore, there was no malafide intension to disobey the orders of the Hon'ble SIC.

Keeping in view the above said facts and documents relied upon by the delinquent, the Governor of Haryana is pleased to file the present charge-sheet against Sh. Ram Kumar Phalswal by taking lenient view.

It is ordered accordingly.

(Dr. Mahavir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana

School Education Department

Regd.

Sh. Ram Kumar Phalswal [41061] The then DEEO Faridabad now Retd. #25,Ghuman Hera, Ward No. 61, Najafgarh, South West,Delhi -110073

Endst. No. 5/174-2016 HRG-I(2)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rewari. It is requested to convey this to the concerned officer.

2. Secretary/ACSSE.

3. Assistant-3 to keep this order in the personal file of the concerned officer.

4. IT Cell

Deputy Superintendent HRG-I for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ORDER

ORDER No. 5/173-2018 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the Orlillow

Whereas, Shri Sahi Ram [057395], Principal, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Sirsa [2844] was charge sheet under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016 on 14.01.2020 and the following allegations were leveled against him:-

"That Shri Kartar Singh, # 515 Aggersain Colony, Sirsa made complaint dated 08.10.2018 wherein various issues of embezzlement were raised by the complainant for making irregular procurement from the Haryana Udhyog Corporations. In the matter, the District Education Officer, Sirsa was directed by Director Secondary Education, Haryana, Panchkula vide letter dated 28.11.2018 to enquire the matter and submit report. The District Education Officer, Sirsa got enquired the said complaint by the committee constituted of Shri Atam Parkash, Deputy District Education Officer, Sirsa, Shril Anil Gupta, Principal, Government Senior Secondary School, Kalanwali, Sirsa and Shri Anil Garg, Section Officer office of District Education Officer, Sirsa and in the enquiry report dated 21.6.2019 following financial irregularities were found to be committed on his on his part i.e. Shri Sahi Ram:-

That the account books of Consolidated Child Welfare Fund were investigated with effect from January 2018 to August, 2018 and payments of Rs. 23,586/-, Rs 15,552/-, Rs 8,789/-, Rs 8,789/-, Rs 11,670/-, Rs 18,968/- , Rs 18,968/-, Rs 19,914/-, Rs 19,914/- , Rs 22,415/- , Rs 23,586/-, Rs 15,553/- , Rs 15,553/- , Rs 15,553/- , Rs 6,879/- , Rs 15,553/-, Rs 15,553/- , Rs 10,479/-, Rs 23,586/- , Rs 23,331/-, Rs 14,677/-, Rs 14,677/- vide vouchers/bills No. 1274 to 1295 on dated 30.07.2018 has been made to M/s Haryana Udhog Corporation against the purchase of tables, floor covering cotton, display boards, lecturer stands, news papers stand, laminated green/black/white boards etc. The said payment were made by him i.e. Shri Sahi Ram to agency i.e. M/s Haryana Udhyog Corporation vide 22 vouchers on the same date instead of making a single payment which showed his malafide intention of splitting the said work amounting to Rs. 3,63,545/- in 22 minor payments of less than 50,000/- just to avoid the process of E-tendering. Thus, he i.e. Shri Sahi Ram violated the State Government Guidelines for process of purchase in Government Offices and cause loss of Rs 3,63,545/- to the State Exchequer by not following the e-tendering process.".

The delinquent submitted his reply to the charge sheet on dated 28.01.2020 and denied the allegations leveled against him. The delinquent has provided the copy of resolution dated 19.07.2018 whereby meeting of SMDC was invited for construction & repair and procurement of material from CCWF funds. The delinquent further provided the demand made by the class in-charges of the school. It has also been submitted by the delinquent that items purchased by him were never procured in the last five years and such procurement was essential as the school had the large students' strength and the payments were made to the agency bill wise and there was no intention for splitting the procurement in minor payment.

The reply of the delinquent was not found satisfactory. Resultantly, Shri O P Langyan, IAS (Retd) was appointed as Inquiry officer vide order dated 09.03.2020/17.03.2020 to conduct regular departmental enquiry. The Inquiry Officer



submitted his report dated 22.06.2020 wherein charges leveled against him were not proved.

Keeping in view the facts, reply submitted by delinquent and finding of Inquiry Officer, The Governor of Haryana is pleased to convert the present charge sheet into under rule-8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal), Rules, 2016 thereby punishment of warning to remain careful in future is inflicted upon him.

It is ordered accordingly.

(Dr. Mahayir Singh), IAS
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana,
School Education Department

Regd:

Shri Sahi Ram, Principal Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Sirsa, (Email:- Sahiram380@Gmail.Com)

Endst. No. 5/173-2018 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh
- 2. Treasury Officer, Sirsa
- 3. District Education Officer, Sirsa
- 4. Superintendent Pension-I(Local)
- 5. HRG-I(3)
- 6. Secy/ACSSE
- 7. I.T. Cell.

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ORDER

ORDER No. 5/173-2018 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the Ollica

Whereas, Shri Baldev Singh [060854], Principal, Government Senior Secondary School, Bara Gudha [4024] was charge sheet under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016 on 08.01.2020/14.01.2020 and the following allegations were leveled against him:-

"That Shri Kartar Singh, # 515 Aggersain Colony, Sirsa made complaint dated 08.10.2018 wherein various issues of embezzlement were raised by the complainant for making irregular procurement from the Haryana Udhyog Corporations. In the matter, the District Education Officer, Sirsa was directed by Director Secondary Education, Haryana, Panchkula vide letter dated 28.11.2018 to enquire the matter and submit report. The District Education Officer, Sirsa got enquired the said complaint by the committee constituted of Shri Atam Parkash, Deputy District Education Officer, Sirsa, Shril Anil Gupta, Principal, Government Senior Secondary School, Kalanwali, Sirsa and Shri Anil Garg, Section Officer office of District Education Officer, Sirsa and in the enquiry report dated 21.6.2019 following financial irregularities were found to be committed on his on his part i.e. Shri Baldev Singh:-

That the account books of Consolidated Child Welfare Fund were investigated with effect from January 2018 to August 2018 and an amount of Rs. 4,62,930/- was utilized by him i.e. Shri Baldev Singh from March 2018 to August 2018 the aforesaid fund on repair & construction of the school building without getting any permission from the competent authority and thus, he i.e. Shri Baldev Singh violated the financial norms as laid in Punjab Financial Rules i.e. 08.07.2015. As such, an amount of Rs 4,62,930/- was misappropriated by him i.e. Shri Baldev Sigh and caused loss to the State Exchequer".

The delinquent submitted his reply to the charge sheet dated 31.01.2020 and denied the allegations leveled against her. The delinquent has provided the resolution dated 05.02.2018 for procurement of funds from CCWF funds wherein it is mentioned that no grant was given to school for repair in the recent past and it was decided to utilize the CCWF funds for construction & repair of Cycle shed, beautification of school etc. The delinquent has submitted the documents as proof that the school attained the 1st award in District Level School Beautification program for the year 2018-19.

The reply of the delinquent was not found satisfactory. Resultantly, Shri O P Langyan, IAS (Retd) was appointed as Inquiry officer vide order dated 09.03.2020/17.03.2020 to conduct regular departmental enquiry. The Inquiry Officer submitted his report dated 22.06.2020 wherein charges leveled against him were not proved.

Keeping in view the facts, reply submitted by delinquent and finding of Inquiry Officer, The Governor of Haryana is pleased to convert the present charge sheet into under rule-8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal), Rules, 2016 thereby punishment of warning to remain careful in future is inflicted upon him.

It is ordered accordingly.

(DR. MAHAVÍR SINGH), IAS Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, School Education Department

Regd

Shri Baldev Singh, Principal Government Senior Secondary School, Bara Gudha Sirsa, (Email:- Sidhubaldev333@Gmail.Com)

Endst. No. 5/173-2018 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh
- 2. Treasury Officer, Sirsa
- 3. District Education Officer, Sirsa
- 4. Superintendent Pension-I(Local)
- 5. HRG-I(3)
- 6. Secy/ACSSE
- I.T. Cell.

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT ORDER

ORDER No. 5/173-2018 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the 6 - 11 | 122

Whereas, Shri Jagdev Singh [060854], Principal, Government Senior Secondary School, Rupawas [3024], Sirsa was charge sheet under Rule-12 of Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 read with under Rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016 on 08.01.2020/14.01.2020 and the following allegations were leveled against him:-

"That Shri Kartar Singh, # 515 Aggersain Colony, Sirsa made complaint dated 08.10.2018 wherein various issues of embezzlement were raised by the complainant for making irregular procurement from the Haryana Udhyog Corporations. In the matter, the District Education Officer, Sirsa was directed by Director Secondary Education, Haryana, Panchkula vide letter dated 28.11.2018 to enquire the matter and submit report. The District Education Officer, Sirsa got enquired the said complaint by the committee constituted of Shri Atam Parkash, Deputy District Education Officer, Sirsa, Shril Anil Gupta, Principal, Government Senior Secondary School, Kalanwali, Sirsa and Shri Anil Garg, Section Officer office of District Education Officer. Sirsa and in the enquiry report dated 21.6.2019 following financial irregularities were found to be committed on his on his part i.e. Shri Jagdev Singh:-

That the account books of Consolidated Child Welfare Fund were investigated with effect from January 2018 to August, 2018 and six numbers of payment for Rs. 38,226/-, 43,140/-, 46,656/-, 46,604/-, 23,596/-, 1,11,788/- vide vouchers/bills No. 426 to 431 on 06.08.2018 were found to be made to M/s Haryana Udhog Corporation by him i.e. Shri Jagdev Singh against the purchase of tables, floor covering cotton, display boards, lecturer stands, news papers stand, laminated green/black/white boards etc. The said payments were made by him i.e. Shri Jagdev Singh to agency i.e. M/s Haryana Udhyog Corporation vide 6 vouchers on the same date instead of making a single payment which showed his malafide intention of splitting the said work amounting to Rs. 1,98,222/- in 5 minor payments of less than 50,000/- just to avoid the process of Etendering. He made payment of Rs 1,11,786/- vide voucher no. 431 dated 06.08.2018 against the purchase of similar article but e-tender process was not adopted by him as the payment was beyond Rs 50,000/-. Thus, he i.e. Shri Jagdev Singh violated the State Government guidelines for the process of purchases in the Government Offices and caused the loss of Rs 1,98,222/-to the State Exchequer by not following the e-tendering process".

The delinquent submitted his reply to the charge sheet on dated 28.01.2020 and denied the allegations leveled against him. The delinquent has provided the copy of resolution dated 20.07.2018 for procurement of funds from CCWF funds. The delinquent further provided the demand made by the class incharge of school. It has also be submitted by the delinquent items purchased by him were never procured and such procurement was essential for working of school activities. It has also been submitted that payments were made to the agency bill wise and there was no intention for splitting the procurement in minor payment.



The reply of the delinquent was not found satisfactory. Resultantly, Shri O P Langyan, IAS (Retd) was appointed as Inquiry officer vide order dated 09.03.2020/17.03.2020 to conduct regular departmental enquiry. The Inquiry Officer submitted his report dated 22.06.2020 wherein charges leveled against him were not proved.

Keeping in view the facts, reply submitted by delinquent and finding of Inquiry Officer, The Governor of Haryana is pleased to convert the present charge sheet into under rule-8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal), Rules, 2016 thereby punishment of warning to remain careful in future is inflicted upon him.

It is ordered accordingly.

(DR. MAHAYIR SINGH), IAS Additional Chief Secretary to Govt, Haryana, School Education Department

Regd:

Shri Jagdev Singh, Principal Government Senior Secondary School, Rupawas Sirsa, (Email:- Jagdevphogatjp@Gmail.Com)

Endst. No. 5/173-2018 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh
- 2. Treasury Officer, Sirsa
- 3. District Education Officer, Sirsa
- 4. Superintendent Pension-I(Local)
- 5. HRG-I(3)
- 6. Secy/ACSSE
- 7. I.T. Cell.

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 5/77-2019 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the Oblinia

Whereas, Shri Virender Singh Sangwan [036168] the then Block Education Officer, Jhajjar [retired on 31.01.2020] was charge sheeted under Rule-7 of HCS (P&A) Rules, 2016 on 05.04.2019 and the following allegation was leveled against her:-

"That Sh. Virender Singh Sangwan has released Monthly Financial Assistance (MFA) in favour of Sh. Ram Niwas son of Sheoji Ram R/o Village & Post Office- Mehrana Tehsil & District Jhajjar on account of death of his son, namely, Sh. Pawan Kumar, JBT, Govt. Primary School Raiya [13122], (Died on 02.12.2012) which was sanctioned to him vide Block Education Officer, Jhajjar Order No. A-1-14/215-219 dated 18.03.2014, ignoring the factual marriage status of deceased employee (i.e. provisions of "Family "Haryana Compassionate Pension Scheme, 1964") and Assistance to the Dependents of Deceased Government Employee Rules, 2006" during his service tenure as Block Education Officer, Jhajjar. He never bothered about the factual position of marriage of deceased govt. employee namely: Sh. Pawan Kumar and caused loss to govt. ex-chequer".

Thereafter, Shri Virender Singh Sangwan submitted his reply to the charge sheet on 22.04.2019 wherein denied all allegations levelled against him. It is further prayed in his reply that he worked as BEO Jhajjar from 17.06.2014 to 11.09.2018 and the monthly financial assistance (MFA) was never sanctioned by him but by Smt Shashi Kanta, the then BEO, by order no A-1/14/215-2019 dated 18.03.2014.

On examination of MIS profile of the delinquent, it is found that Shri Virender Singh remained posted at BEO Jhajjar from 17.07.2014 to 11.09.2018 and the sanction of MFA was issued prior to his posting as BEO Jhajjar i.e. 18.03.2014 and thus, the delinquent can not to be held responsible for the orders passed by Smt Shashi Kanta, BEO Jhajjar

Keeping in view the facts of the case, the Governor of Haryana is pleased to drop the present charge sheet against Shri Virender Singh Sangwan.

It is ordered accordingly.

(**Dr. Mahavir Singh**), IAS Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, School Education Department

REGD.

Shri Virender Singh Sangwan (Retd) House No. 100, Subhash Nagar, Ward No. 10 Rohtak

Endst. No. 5/77-2019 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh

 Treasury Officer, Jhajjar
 District Education Officer, Jhajjar with direction to place the copy of this order in the personal file of the officer.

4. Superintendent Pension Primary O/o Director Elementary Education, Haryana, Panchkula

w.r.t. letter no. 7/20-2014 PP(3) dated 16.04.2019.

5. Superintendent Pension-I (Local)

6. Secy/ACSSE
7. IT Cell.

DEPUTY SUPERINT FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

No. 5/77-2019 HRG-I (1)

Dated, Chandigarh, the Orlinear

Whereas, Smt Shashi Kanta [058458], Block Education Officer, Jhajjar [now retired on 31.10.2014] was charge sheeted under Rule-7 of HCS (P&A) Rules, 2016 on 05.04.2019 and the following allegation was leveled against her:-

That Smt. Shashi Kanta has issued sanction of Monthly Financial Assistance (MFA) in favour of Shri Ram Niwas son of Sheoji Ram, R/o Village & Post Office-Mehrana, Tehsil & District Jhajjar on account of death of his son, namely, Smt Pawan Kumar, KBT, Govt Primary School Raiya (13122), (Died on 02-12-2012) vide Block Education officer, Jhajjar employee (i.e. provision of "Family Pension Scheme, 1964" and "Haryana Compassionate Assistance to the Dependents of Deceased Government Employee Rules, 2006").

That before according sanction for grant of MFA in favour of above-said father of deceased Govt. Employee, Smt Shashi Kanta has ignored the fact that she has no authority to accord the sanction as delegation of power to sanction MFA to "Head of Office" was already withdrawn vide Director Elementary Education Haryana, Chandigarh

Memo No. 15/34-2007 P-1(3) dated 02.07.2012.

That before according sanction, Smt Shashi Kanta has not enquired about facts whether the deceased Govt. Employee was 3. married one or not. The accorded sanction in favour of father became cause of litigation as the deceased Govt. Employee was married one.

That after according sanction in favour of Shri Ram Niwas, the father, the concerned Head of office, namely, Smt Shashi Kanta paid an amount of Rs 13,49,641/- to un-entitled person instead of widow (Smt. Kavita) and caused loss to Govt Exchequer".

That the negligence towards statutory rules as well as ignoring the factual status of deceased Govt. Employee by Smt. Shashi Kanta has become main cause of litigation i.e. CWP No. 2158 of 2014 – Kavita Devi Vs State of Haryana & other and CWP No. 22318 of 2016 – Ram Niwas vs State of Haryana & others. In this way not only wasted the valuable time of Department and Hon'ble Court but also brought bad

names to this department with financial losses".

On examination of the charge sheet dated 05.04.2019, it is found that the delinquent was charge sheeted under rule-7 for the lapses committed by her in the year 2019 although she retired from service on 31.10.2014. Thus, the charge sheet is not maintainable as charge sheet can be issued only under 12.2 (B) of HCS (Pension) Rules, 2016 read with Rule-7 of HCS (P&A) Rules, 2016 and that too within 4 years of retirement.

Keeping in view the facts of case, the Governor of Haryana is pleased to drop the present charge-sheet against Smt. Shashi Kanta.

It is ordered accordingly.

(Dr. Mahavir Singh), IAS Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, School Education Department

REGD.

Smt Shashi Kanta (Retd) Deputy District Education Officer, Jhajjar Jhajjar.

Endst. No. 5/77-2019 HRG-I(1)

Dated, Panchkula the 05.11.2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh

2. Treasury Officer, Jhajjar

3. District Education Officer, Jhajjar with direction to place the copy of this order in the personal file of the officer.

4. Superintendent Pension Primary O/o Director Elementary Education, Haryana, Panchkula

w.r.t. letter no. 7/20-2014 PP(3) dated 16.04.2019.

5. Superintendent Pension-I (Local)

6. Secy/ACSSE

DEPUTY SUPERINTENDENT HRG-I FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ORDER NO.17/98-2020 HRME (6) DATED, PANCHKULA, THE 28.10.2020

Permission w.e.f. 6.3.2020 is hereby granted to Sh. Phool Singh, Retd. Clerk GSSS Kasrela Khurd, Ambala to change of option from fixed medical reimbursement to open medical reimbursement for outdoor expenses of treatment of chronic diseases in terms in view of Government Haryana instructions issued from time to time on the following conditions:-

- That he will not be entitled to the fixed medical allowances w.e.f.
 6.3.2020 after the date of change of option and the allowances will have to be deposited in Government treasury.
- 2. The medical certificate will be reviewed after a period of two years.
- 3. The reimbursement will be made only for ten chronic diseases which have been declared by the Haryana Government.

J.GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

ENDST.NO. EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 9/11/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Principal Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
- 2. District Education Officer, Ambala w.r.t. his office memo no. A-2/2020/9866 dated 17.9.2020.
- 3. Sh. Phool Singh, Retd. Clerk GSSS Kasrela Khurd, Ambala.

4/IT Cell.


SUPERINTENDENT HRME-I for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

E:\Parminder (6)\MEDICAL\option change sanction.docx



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253 कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला—134109 (भारत) दूरमाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/66-2020 PGT-II (6)

DATED, PANCHKULA 05.11.2020

Smt. Sumitra Devi, PGT Hindi, Govt. Girls High School, Kawi (Panipat) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 05.11.2020 to 04.02.2021 (Three Months) as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/ 28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN, IAS DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 06-11-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The District Education Officer, **Panipat** w.r.t. their letter No. E-3/20/4240 dated 09.09.2020.
- 2. Principal/Headmaster concerned.
- 3. Official concerned.
- A. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Dy. Superintendent PGT-II for Director Secondary Education, Haryana, Panchkula







GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education



विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

NO. 4/23-2020 HRME-II (5)

Dated, Panchkula, the:-06.11.2020

The following Group-D, Class-IV employee is hereby transferred with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation		ion	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted			Remarks
1.	Virender [5016870]	Singh,		GSSS, Devipur [5607] Tehsil Gharaunda, Karnal	1	Ateli ndergar	[50,0]	Against Vacancy by giving relaxation in transfer policy

Note :-

- 1. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
- 2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
- 3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
 - If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
- 4. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
- 5. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
- 6. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
- 7. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

J. GANESAN DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/23-2020 HRME-II (5)

Dated Panchkula, the:-6 11 2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. District Education Officer concerned.
- 2. Sh. Virender Singh, Peon [5016870] GSSS, Devipur [5607] Tehsil Gharaunda, Karnal.
- 3. IT Cell.
- 4. Data Entry Operator (HRME Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

SUPERINTENDENT HRME-II for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA